1. न्यूनतम वेतन क्या है ?

न्यूनतम वेतन की कई अवधारणाएं है। राष्ट्रीय मज़दूर आयोग इसे निम्नलिखित तरीकों से विस्तार करता है :–'

i. कानूनी न्यूनतम वेतन
ii. मौलिक न्यूनतम वेतन
iii. न्यूनतम वेतन
iv. न्यायोचित न्यूनतम वेतन
v. निर्वाह–योग्य वेतन

समय–समय पर कोर्ट एवं विभिन्न श्रम आयोग इसकी व्याख्या करते रहे हैं। परन्तु न्यूनतम वेतन कानून न्यूनतम वेतन को परिभाषित नहीं करता और न ही न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए कोई मापदंड ही तय किया गया है। नतीजतन विभिन्न न्यूनतम वेतन तय करने वाले प्राधिकरण अपने हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करते हैं।

फिर भी न्यायोचित न्यूनतम वेतन कमेटी (1949) न्यूनतम वेतन को परिभाषित करते हुए कहती है – ''न्यूनतम मजदूरी केवल जीवन के लिए सिर्फ आधार नहीं बल्कि उसकी कार्य करने की क्षमता को बचाये रखने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरते और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने जितना होना चाहिए।

2. कौन और कैसे तय करता है ?

न्यूनतम मजदूरी कानून की धारा 5 में, मजदूरी तय करने के दो विकल्प सुझाए गए हैं :–

i. त्रीपक्षीय कमेटी का गठन, खोजबीन कर सरकार को न्यूनतम वेतन को तय करने के लिए किया जाए।
ii. सरकार खुद से दर तय कर गजेट में प्रकाशित करे।

अब तक सरकार पहले सुझाव को मानते आ रही है और त्रीपक्षीय कमेटी के सुझावों पर न्यूनतम मजदूरी तय करती आ रही है। परन्तु कमेटी यह कभी नहीं बताती कि कमेटी ने किन मानदण्डों पर यह मजदूरी तय की है।

न्यायोचित न्यूनतम वेतन कमेटी (1949) ने पांच मानदण्ड अपनाये :–

i. एक आदर्श भारतीय कामगार परिवार के तीन सदस्य – पति, पत्नी और बच्चे को माना गया है।
ii. न्यूनतम भेजन की ज़रूरत 2770 केलोरी आंकी गयी है।
iii. तीन सदस्यों के परिवार में 1 सदस्य के लिए 18 गज कपड़े।
iv. आवास के लिए सरकार द्वारा लिया जाने वाले किराया।
v. अन्य ज़रूरत की चीजें – पूरे न्यूनतम वेतन का 20%

साथ में यह भी सिफारिश की गई है कि जब कभी न्यूनतम वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए मानदण्डों के हिसाब से कम हो तब संबन्धित अधिकारी को यह बताना होगा कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया।

न्यूनतम मजदूरी कानून सिर्फ मजदूरी की दर की बात नहीं करता बल्कि संबन्धित सरकारों से काम के घंटों को तय करने, जिसमें पूरे दिन में एक या दो बार का अन्तराल और एक दिन की छुट्टी तय करने की बात की गई है। केन्द्र सरकार ने एक व्यस्क के लिए 9 घंटे एवं बच्चे के लिए 4½ घंटे की अवधि तय की है। साथ ही काम की अवधि 1 दिन में 12 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मजदूर सामान्य घंटे से अधिक काम करता है तो मालिक को 3 रुपये हर घंटे के हिसाब से मजदूरी देनी होगी।

3. विभिन्न समय में विभिन्न कमेटियों द्वारा मानदण्डों पर प्रतिक्रिया :–

i. न्यूनतम भोजन का मानदण्ड हमेशा से विवाद का विषय रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजन (1961–66) खासतौर से सिफारिश करता है ''मज़दूर वर्ग के परिवार की भोजन की ज़रूरतों को दुबारा से वैज्ञानिक तरीके से खोजबीन करने की ज़रूरत है''। राष्ट्रीय पोषण सिफारिश कमेटी ने एक व्यस्क के लिए 2750 केलोरी तय किया है। साथ ही उसने एक परिवार के लिए 8200 केलोरी का मापदण्ड दिया है।।

ii. 1981 के श्रम मंत्रियों के कांफ्रेंस में सिफारिश की गई है कि उपयुक्त तरीका अपनाना चाहिए ताकि न्यूनतम वेतन गरीबी रेखा के नीचे न हो।

iii. गुरूदास गुप्ता कमेटी (1988) ने सुझाया कि न्यूनतम वेतन तार्किक रूप से विभिन्न मानदण्डों के मद्देनज़र तय करना चाहिए :–

- गरीबी रेखा के नीचे की आहार ज़रूरतें
- आवास
- कपड़े की ज़रूरतें
- ईंधन, लाईट
- स्वास्थ्य एवे शिक्षा के खर्च

iv. ग्रामीण मज़दूर श्रम आयोग (1991) ने सिफारिश की कि परिवार के सदस्यों की संख्या का प्रावधान को हटा देना चाहिए ताकि मज़दूरों पर बोझ कम किया जा सके।

v. सीटू और एटक निम्नलिखित सुझाव देता है :–

- मजदूरी को price index से जोड़ना चाहिए।
- दो साल में एक बार इसका संशोधन होना चाहिए।

4. कानून की खामियां

i. सभी कामों को इसमें जगह नहीं मिली है।
ii. कई राज्यों में सूचित कामों के लिए न्यूनतम मज़दूरी तय नहीं है।
iii. मज़दूरी में समानता नहीं है।

5. दिल्ली में न्यूनतम वेतन

दिल्ली में 29 कामों को सूचित किया गया तथा सभी कामों की न्यूनतम मज़दूरी 74.50% है।

अगर हम केन्द्र सरकार की दरों पर ध्यान दें तो पाते हैं कि :–

	निर्माण
अप्रशिक्षित	68.15
अर्द्धप्रशिक्षित अप्रशिक्षित पर्यवेक्षी	81.57
प्रशिक्षित	104.62
उच्च प्रशिक्षित	123.46
	कृषि
अप्रशिक्षित	97.12
अर्द्धप्रशिक्षित अप्रशिक्षित पर्यवेक्षी	107.23
प्रशिक्षित	117.33
उच्च प्रशिक्षित	130. 42

6. कितना तर्कसंगत

i. न्यूनतम मज़दूरी को परिभाषित नहीं करता।

ii. न्यूनतम वेतन कानून सभी राज्यों में लागू नहीं है।

iii. सभी काम इस कानून के अंतर्गत सूचित नहीं है एवं विभिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न संख्या है।

iv. कई राज्यों में सभी सूचित कामों की संख्या के लिए न्यूनतम वेतन तय नहीं किया गया है।

v. हर पांच साल में इसका संशोधन होना चाहिए परन्तु अमूमन नहीं होता।

vi. आज मुद्दा न्यूनतम ज़रूरतों को तय करने का है और न्यूनतम ज़रूरत गरीबी रेखा से तय नहीं हो सकती क्योंकि यह केवल न्यूनतम भोजन पर आधारित है। जीवन की अन्य ज़रूरतें जैसे आवास, कपड़े, स्वास्थ्य, बच्चो की शिक्षा और जीवन की अन्य ज़रूरतों को अनदेखी करता है।

vii. केलोरी की ज़रूरत भारतीय मज़दूर, जो अत्यधिक श्रम करते हैं, उनके हिसाब से होना चाहिए न कि सामान्य भारतीय परिवार की ज़रूरत के हिसाब से।

viii. परिवार का साईज़ 4 कितना तर्कसंगत है जबकि 1991 की जनगणना में यह 4.6 है।